

(51)

(1)

निगरानी-1169-II-15

न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति सदस्य राजस्व मंडल(बोर्ड)म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन

कामे-कागो-उज्जैन के  
दि 19-5-15 को धारा 1

निगरानी क. /2015

आ. 2121 अ ब 0 मंगीलाल पिता दश्यावसिंह कुलमी

निवासी-बड़ीचुरलाय, ते. व जिला देवास म.प्र.

----- प्रार्थी /आपत्तिकर्ता

प्रार्थी अभिभावक श्री. श्री. रजनी बाई  
द्वारा प्रस्तुत  
दिनांक 15-5-15  
अधीनक 15-5-15  
आयुक्त कार्यालय  
उज्जैन

विरुद्ध

1. संतोष पिता विजय पाटोदिया

निवासी-शिव भवन, कलावलीचांदा, ए.बी.रोड इन्दौर एवं अन्य

2. सुमित पिता गोरधन अ.पा.क. मां रजनी बाई पति गोरधन

निवासी- बड़ीचुरलाय, ते. व जिला देवास म.प्र.

----- प्रतिप्रार्थीगण/ प्रार्थी

514  
15/5/15

निगरानी आवेदन धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 के अंतर्गत


महोदय,

अपर तेहसीलदार महोदय देवास के प्र.क. 9/अ 6/14-15 में दिये गये प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 11.05.2015 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

1. प्रकरण के तथ्य :-

1. यहकि ग्राम बड़ीचुरलाय ते. व जिला देवास में स्थित सर्वे क. 653/2/ 1 रकवा 0.62 हे. लगान 3.11 की भूमि प्रतिप्रार्थी कमांक 2 अ.पा.क.मां रजनी बाई द्वारा प्रतिप्रार्थी क.1 को दिनांक 21.10.2014 जरिये विक्रीखत क. अ

22-5-15




Signature  
(51)


R 11695115 जिन्हा देवा म

16-2-15

अधरेक आभिमजड वी प्रकार गुप्ता ने  
उपस्थित वक्रे अनुरोध किया कि उनके  
इस वद निगरानी तहसिलदार देवा के  
अंतिम आदेश दिनांक 11.5.15 के विषय  
प्रस्तुत की गई थी। अंततः तहसिलदार  
ने उक्त प्रकरण में अंतिम आदेश पारित  
की गया है, अतः अब वे निगरानी का  
अंशालन नहीं करना चाहते हैं। अधरेक  
आभिमजड के अनुरोध को स्वीकार करते  
हुये निगरानी इस स्तर पर समाप्त की  
जाती है। प्रकरण काबिल रिकार्ड हो

~~16/2~~  
16/2



  
सरंज